



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्रतिभार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 191] नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 30, 1992/वैशाख 10, 1914  
No. 191] NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 30, 1992/VAISAKHA 10, 1914

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में  
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a  
separate compilation

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय  
(स्वास्थ्य विभाग)  
अधिसूचना  
नई दिल्ली, 30 अप्रैल, 1992

सा.का.नि. 442 (अ) :—केन्द्रीय सरकार का खाने समझ उपलब्ध मांस्य और अन्य सामग्री के  
आधार पर यह समाधान हो गया है कि दूध वेस्ट/दूध पाउडर में तम्बाकू के उपयोग से मनुष्यों को जोखिम होने  
की संभावना है और यह कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक और सुगोचीन है।

अतः केन्द्रीय सरकार, अधिधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (1940 का 23) की धारा 33  
(ड.३.घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तम्बाकू अन्तर्बिष्ट करने वाली दूध वेस्ट/दूध पाउडर के  
रूप में अनुसूचित सभी प्राथमिक अधिधियों के विनिर्माण और विक्रय का प्रतिषेध करती है।

[सं. एनस-11014/3/91-डीएमएस एंड पीएमए]

भूपेन्द्र सिंह लाम्बा, संयुक्त सचिव

वाक टिप्पण :—मुख्य अधिसूचना भारत के राजपत्र में सा.का.नि. 578 (अ), दिनांक 23 जुलाई, 1983 द्वारा प्रकाशित किया गया था तत्पश्चात् निम्नलिखित द्वारा संशोधित किया गया :—

1. सा.का.नि. 49 (अ) दिनांक 31 जनवरी, 1984,
2. सा.का.नि. 322 (अ) दिनांक 3 मई, 1984,
3. सा.का.नि. 863 (अ) दिनांक 22 नवम्बर, 1985.
4. वा.का.नि. 700 (अ), दिनांक 15 जून, 1988,
5. सा.का.नि. 999 (अ) दिनांक 26 दिसंबर, 1990 और
6. सा.का.नि. 69 (अ), दिनांक 11 फरवरी, 1991

## MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health)

### NOTIFICATION

New Delhi, the 30th April, 1992

GSR 443(E).—Whereas the Central Government is satisfied on the basis of evidence and other material available before it that the use of tobacco in tooth pastes|tooth powders is likely to involve risk to human beings and that it is necessary and expedient in the public interest so to do ;

Now, therefore in exercise of powers conferred by section 33-BED) of the Drugs and Cosmetics Act, 1940 (23 of 1940), the Central Government hereby prohibit the manufacture and sale of all Ayurvedic Drugs licensed as tooth pastes|tooth powders containing tobacco.

[No. X. 11014|3|91-DMS&PFA.]

B. S. LAMBA, Jt. Secy.

FOOT NOTE : The Principal notification was published in the Gazette of India vide G.S.R. No. 578(E), dated 23-7-1983 and subsequently amended by :—

1. GSR No. 49(E), dated 31-1-1984.
2. GSR No. 322(E), dated 3-5-1984.
3. GSR No. 863(E), dated 22-11-1985.
4. GSR No. 700(E), dated 15-6-1988.
5. GSR No. 999(E), dated 26-12-1990.
6. GSR No. 69(E), dated 11-2-1991.